छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर
आदेश सुरक्षित :दिनांक 13.1.2022
आदेश पारित :दिनांक 1.2.2022

रिट याचिका (सर्विस) क्र.4946 of 2016

उमेश मिश्रा, उम्र 56 वर्ष पिता श्री विश्वानाथ मिश्रा, प्रधान आरक्षक क्रमांक 1110, पुलिस लाईन, दुर्ग (छ०ग०)

-------- **याचिकाकर्ता**

बनाम

1. छ०ग० शासन, द्वारा सचिव, गृह पुलिस विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर, पुलिस स्टेशन राखी
2. जिला पुलिस अधीक्षक, दुर्ग छ०ग०
3. पुलिस अधीक्षक (शहरी), सेक्टर vi, भिलाईनगर, जिला दुर्ग (छ०ग०)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

------ **प्रत्यर्थीगण**

याचिकाकर्ता की ओर से : श्री अजय श्रीवासतव, अधिवक्ता

प्रत्यर्थीगण की ओर से : श्री अंशुमन श्रीवास्तव, पेनल अधिवक्ता

माननीय न्यायमूर्ति श्री संजय के. अग्रवाल

सी.ए.वी. आर्डर

(वीडियो कांफ्रेंसिंग माध्यमार्थ)

1. प्रस्तुत रिट याचिका आरोप पत्र दिनांकित 15.07.2016 (संलग्नक पी–1) के दाखिले के विरूद्ध पेश की गई है जिसके माध्यम से याचिकाकर्ता के विरूद्ध विभागीय जांच किये जाने का इस आशय का आदेश जारी है कि याचिकाकर्ता का आचरण छ०ग० सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 (जिसे आगे से "1965 के नियम" संबोधित किया जायेगा) सहपठित विनियम 64 छत्तीसगढ़ पुलिस विनियमन के उल्लंघन में है ।

2. मामले के तथ्य इस प्रकार हैं किः–

2.1 याचिकाकर्ता, उत्तरवादी क्रमांक–2 एवं 3 के अधीनस्थ होकर प्रधान आरक्षक हैं। याचिकाकर्ता के पुत्र प्रवीण कुमार मिश्रा ने विक्रय पत्र दिनांकित

13.07.2015 के माध्यम से आदित्य प्रकाश नामदेव को कुछ जमीन बेची थी। जमीन संबंधी विवाद आदित्य प्रकाश नामदेव और प्रवीण कुमार मिश्रा के मध्य होने पर याचिकाकर्ता के पुत्र प्रवीण कुमार मिश्रा सहित अन्य के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420 एवं धारा 120–बी के तहत अपराध पंजीबद्ध हुआ। उक्त मामले में अंतिम प्रतिवेदन मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दुर्ग के समक्ष विचाराधीन है जिसमें याचिकाकर्ता के विरूद्ध भी भारतीय दण्ड संहिता की धारा 120–बी/34 के तहत कार्यवाही की जा रही है। याचिकाकर्ता के अनुसार उनके विरूद्ध उत्तरवादीगणों द्वारा अंतिम प्रतिवेदन जारी किया गया है और विभागीय जांच का आदेश दिया गया है जबकि उनके द्वारा अपने कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान कोई दुर्व्यवहार नही किया गया है और याचिकाकर्ता के पुत्र के द्वारा ही भूमि का विक्रय किया गया है। यह कथित किया गया है कि 1965 के नियम–3 (1) या विनियमन 64 आकर्षित ही नही होते हैं। याचिकाकर्ता के अनुसार जब तक कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान उपेक्षा या दुर्व्यवहार का तथ्य नही उत्पन्न होगा, तब तक छ०ग० सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 एवं धारा 64 छत्तीसगढ़ पुलिस विनियमन के तहत विभागीय जांच संस्थित नही की जा सकती है। उक्त आधारों पर विभागीय जांच के संस्थित होने और संलग्नक पी–1 के अंतिम प्रतिवेदन को जारी किये जाने के आदेश को अविधिक, बिना क्षेत्राधिकार और अवैधानिक होने की चुनौती दी गई है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. उत्तरवादी/राज्य की ओर से याचिका के तथ्यों का खण्डन करते हुए इस आशय का जवाब पेश किया गया है कि दाखिल अंतिम प्रतिवेदन में स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि याचिकाकर्ता ने अपने पद का दुरूपयोग किया है एवं इसलिए उनका कृत्य छ०ग० सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3(1) सहपठित धारा 64 छत्तीसगढ़ पुलिस विनियमन का उल्लंघन है एवं उनके विरूद्ध दाखिल अंतिम प्रतिवेदन विधिक है। यह कथित किया गया है कि प्रस्तुत रिट याचिका समय पूर्व पेश की गई है, जबकि याचिकाकर्ता विभागीय जांच कार्यवाही में भाग लेकर अपना उत्तर प्रस्तुत कर सकते हैं और बचाव लेने के लिए स्वतंत्र हैं। अतः रिट याचिका को निरस्त किये जाने का कथन किया गया है।

4. जवाब दाखिल होने और रिट याचिका पर सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के पुत्र प्रवीण कुमार मिश्रा द्वारा आदित्य प्रकाश नारायण के पक्ष में निष्पादित प्रश्नाधीन भूमि के पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांकित 13.07.2015 की प्रति अभिलेख पर ली गई ।

5. याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता श्री अजय श्रीवास्तव द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **रसिकलाल वाघाजी भाई जी पटेल विरूद्ध अहमदाबाद नगर निगम एवं अन्य**[1] **तथा माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा कुप्पली मोहन राव विरूद्ध मैनेजिंग डायरेक्टर एफ सी आई एवं अन्य**[2] में पारित फैसलों पर विश्वास धारित करते हुए यह कथित किया है कि अंतिम प्रतिवेदन में लगाये गये आक्षेपों से विभागीय जांच का कोई आधार याचिकाकर्ता के विरूद्ध आकृष्ट ही नही होता है ; मात्र इस आधार पर कि याचिकाकर्ता के विरूद्ध धारा 120 बी/34 भारतीय दण्ड संहिता के तहत आपराधिक मामला दर्ज हुआ है, याचिकाकर्ता को विभागीय जांच के लिए दायी नही ठहराया जा सकता है ; यह कथित किया गया है कि भूमि को याचिकाकर्ता के पुत्र प्रवीण कुमार मिश्रा ने आदित्य प्रकाश नामदेव को विक्रय किया है और उक्त से दुर्व्यवहार का कोई मामला विभागीय जांच संस्थित करने के लिए आकृष्ट नही होता है ।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

6. विद्वान पेनल अधिवक्ता श्री अंशुमन श्रीवास्तव ने विभागीय जांच कार्यवाही के संस्थित होने और अंतिम प्रतिवेदन दाखिल होने की कार्यवाही का समर्थन करते हुए यह कथित किया है कि याचिकाकर्ता के विरूद्ध आपराधिक कार्यवाहियां लंबित हैं और मामले में याचिकाकर्ता ने अपने पदीय प्राधिकार का दुरूपयोग किया है जिस कारण उनके विरूद्ध संस्थित विभागीय जांच कार्यवाही और दाखिल किया गया अंतिम प्रतिवेदन पूर्णतः विधिक है तथा प्रस्तुत रिट याचिका समयपूर्व दाखिल की गई है । यह कथित किया गया है कि याचिकाकर्ता उनके विरूद्ध लंबित विभागीय जांच में गुण–दोषों के आधार पर लगाये गये आरोपों का खण्डन करने के लिए स्वतंत्र हैं एवं इन कारणों से प्रस्तुत रिट याचिका अप्रचलनीय होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

7. उभयपक्षकारों के तर्क सुने गये एवं अभिलेख का गहनतापूर्वक परिशीलन किया गया है।

---

1 AIR 1985 SC 504

2 1998 (1) JLJ 97

8. याचिकाकर्ता के विरूद्ध संलग्नक–पी–1 के अनुसार दिनांक 15.07.2016 को विभागीय जांच संस्थित की गई है एवं अभियोग पत्र जारी किया गया है । निम्न आशय के आरोप का अभियोग पत्र दाखिल हुआ हैः–

:: आरोप ::

आवेदक आदित्य नामदेव से छलपूर्वक धोखाधड़ी कर किसी अन्य की भूमि का अपने पुत्र के नाम होना बताकर विक्रय कर अनुचित लाभ अर्जित कर संदिग्ध आचरण प्रदर्शित कर म.प्र./छ.ग. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम–03 की कंडिका (एक) एवं पुलिस रेगुलेशन के पैरा–64 (सेवा की सामान्य शर्तें) की कंडिका–(02) उल्लंघन करना ।

सही/–

(अमरेश मिश्रा)
पुलिस अधीक्षक,
दुर्ग (छत्तीसगढ़)
दिनांक 15.07.2016

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. उक्त आरोप के परिशीलन से यह दर्शित होता है कि याचिकाकर्ता द्वारा प्रश्नाधीन भूमि को इस आधार पर शिकायतकर्ता आदित्य नामदेव को विक्रय किया गया है कि उक्त भूमि याचिकाकर्ता के पुत्र की है और इस प्रकार संदिग्ध आचरण प्रदर्शित कर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 (1) एवं पुलिस रेगुलेशन के पैरा–64 का उल्लंघन किया है ।

10. इस स्तर पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3(1) प्रासंगिक है जिसके अनुसार–

"**3.सामान्यः–** (1) प्रत्येक शासकीय सेवक सदैव ही–

(एक) पूर्ण रूप से सन्निष्ठ रहेगा;

(दो) कर्तव्यपरायण रहेगा; और

(तीन) ऐसा कोई भी कार्य नहीं करेगा जो कि शासकीय सेवक के लिये अशोभनीय हो"

11. नियम 1965 के नियम 22 ए में अवचार की सामान्य धारणा है, जिसके अनुसार

"**22 क. अवचार की सामान्य धारणाः–** अवचार की सामान्य धारणा पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना इन नियमों में अधिनियमित निर्देशों या प्रतिशेधों का उल्लंघन कर दिया गया कोई भी कृत या अकृत मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के अधीन दण्डनीय अवचार माना जायेगा ।"

12. छत्तीसगढ़ पुलिस रेगुलेशन के रेगुलेशन 64 (2) के अनुसारः–

"**64. सेवा की सामान्य शर्तेः–** पुलिस बल में नियुक्ति के लिए प्रत्येक उम्मीदवार को पुलिस सेवा की सामान्य शर्तो के अवगत करा देना जरूरी है जो निम्नानुसार है–

(1) xxx xxx xxx

(2) प्रत्येक पुलिस अधिकारी अपने कर्तव्यों को पूर्ण करने के लिए निष्ठापूर्वक तथा इमानदारी से अपनी सर्वोत्तम योग्यता का प्रयोग करेंगा ।

(3) to (12) xxxxxx xxx."

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. नियम 3(1) एवं 22 ए के संयुक्त पठन से यह दर्शित होता है कि इन नियमों में अधिनियमित निर्देशों या प्रतिषेध के उल्लंघन में कोई भी कार्य या चूक छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के अंतर्गत दण्डनीय कदाचार होगा एवं लघु या वृहद शस्ति अपचारी लोक सेवक के विरूद्ध अधिरोपित की जा सकेगी । पुलिस रेगुलेशन का रेगुलेशन 64 एक पुलिस अधिकारी को अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय सर्वोत्तम क्षमताओं का उपयोग करने के लिए अपेक्षा करता है । "कदाचरण" को 1965 के नियम में परिभाषित नही किया गया है ।

14. "अवचार" को Black's Law Dictionary के छठवें संस्करण में निम्नानुसार परिभाषित किया हैः– इस शब्द में " किन्ही विनिर्दिष्ट कार्यों में नियमों का उल्लंघन, निषेधित कार्य , कर्तव्य में अवहेलना, विधि विरूद्ध आचरण, चारित्रिक अनुचित्तता, अनुचित व्यवहार एवं इनके पर्यायवाची शब्द दुर्व्यवहार, दुराचार, अनुचित, कुप्रबंधन अपराध है तथापि उपेक्षा या असावधानी सम्मिलित नहीं हैं।

कार्यालय में अवचार निम्नानुसार से परिभाषित हैं

" किसी लोक अधिकारी के द्वारा अपने कार्यालयीन कर्तव्यों के निर्वहान में जानबुझ कर किया गया अनुचित/अविधिक आचरण । इस शब्द में वह सभी कार्य जिसे लोक अधिकारी को करने का कोई अधिकार ना हो, जहां कार्य अनुचित तरीके से किये जाएं एवं जहां पर आज्ञापक कर्तव्य के दायित्व के बावजूद निर्वहन ना किया जाए "

15. पी.रामनाथ अय्यर के Law lexicon, पृ. 1 पर पुनर्मुद्रण 821 "दुराचार" को निम्नानुसार परिभाषित किया गया हैः–

" "अवचार "शब्द का अर्थ केवल निर्णय की त्रुटि से ही नहीं अपितु गलत आशय होने से हैं । यह जरूरी नहीं है कि " कदाचार" नैतिक अधर्मता से जुड़े आचारण के समानान्तर हो। "अवचार" एक सापेक्ष शब्द है और जिस अधिनियम या कानून के अर्थ में संदर्भित है , उस अधिनियम या कानून के दायरे एवं विषय वस्तु के अनुसार विवेचित किया जाना चाहिए । "अवचार" का मूल अर्थ गलत आचारण या अनुचित आचरण हैं। सामान्य भाषा में, "अवचार" का अर्थ है ऐसे स्थापित और निश्चित नियमों के उल्लघंन से हैं, जहां परिस्थितियों की मांग हैं और कर्ता के पास कोई विवेकाधिकार उपलब्ध नहीं हैं जबकि लापरवाही, उपेक्षा एवं अकुशलता उन कार्यों का उल्लघंन है जहां पर कर्ता के पास, यद्यपि स्थापित मगर अस्पष्ट विवेकाधिकार उपलब्ध हैं । "अवचार" किसी निश्चित विधि का उल्लंघन है; किसी अनिश्चित विधि के अधीन प्राप्त विवेकाधिकार का दुरूपयोग या असावधानी हैं । कार्यालय में अवचार की परिभाषा से तात्पर्य एक सार्वजनिक अधिकारी द्वारा किये जाने वाले ऐसे विधिविरूद्ध व्यवहार या उपेक्षापूर्ण आचरण से है जिससे किसी पक्ष के अधिकार प्रतिकूल रूप से प्रभावित होते है ।

इस प्रकार "अवचार" शब्द की कोई सटीक परिभाषा नहीं है अपितु विषय के संदर्भ अनुसार, इसकी व्याख्या दोषी के प्रदर्शन एवं उसके अनुशासन तथा कर्तव्य की प्रकृति पर पड़ने वाले प्रभाव से विवेचित किया जा सकता है । इसमें नैतिक अधमता शामिल हो सकती है, अनुचित या गलत व्यवहार होना

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

आवश्यक है; विधिविरूद्ध व्यवहार, दुराग्रही; निषेधित कार्य, कार्यवाही के स्थापित और निश्चित नियम या आचार संहिता का उल्लंघन से है लेकिन केवल निर्णय की त्रुटि, लापरवाही या कर्तव्य के प्रदर्शन में लापरवाही ; निषिद्ध गुणवत्ता या चरित्र की शिकायत वाले कार्य से नहीं होगा। इस शब्द की व्याख्या विषय वस्तु, संदर्भ और अधिनियम के उद्देश्य, दायरे और सार्वजनिक हित में सेवा के लिए प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए की जानी चाहिए ।

(emphasis supplied)

(देखे पंजाब राज्य विरूद्ध रामसिंह[3])

16. किसी निर्णय में उपेक्षापूर्ण कृत्य के परिणामस्वरूप होने वाली त्रुटि कदाचार नही है । यद्यपि अपरिहार्य स्थितियों में सजगता से कार्य न किया जाना कदाचार की श्रेणी में निर्धारित किया जा सकता है । ऐसा कोई भी कृत्य जिससे संस्थान की साख पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा हो, वह भी कदाचार है । बिना किसी प्राधिकार के कार्य किया जाना भी कदाचार है । जहां किसी पदाधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह पूरी ईमानदारी और निष्ठा से कार्य करे, वहां पर किसी भी प्रकार दुर्विनियोग, भले ही अंतरिम रूप से हो, गंभीर रूप से दण्डनीय है (Vide Disciplinary Authority–cum–Regl. Manager v. Nikunja Bihari Patnaik[4], Govt. of T.N. V. K.N. Ramamurthy[5], Inspector prem chand V. Govt. of NCT of Delhi[6] and SBI v. S.N. Goyal[7].)

17. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **आन्ध्रप्रदेश राज्य विरूद्ध पी. पोसेटी**[8] के मामले में यह अभिनिर्धारित किया है कि किसी भी संस्था या निकाय की प्रतिष्ठा के विरूद्ध कार्य किया जाना जिससे पद की साख पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े, ऐसा कार्य कदाचार है क्योंकि ऐसे आचरण से यह साबित होता है कि अपचारी सेवक द्वारा उस पद के प्रति ही अशोभनीय व्यवहार किया गया है ।

3 (1992) 4 SCC 54
4 (1996) 9 SCC 69
5 (1997) 7 SCC 101
6 (2007) 4 SCC 566
7 (2008) 8 SCC 92
8 (2000) 2 SCC 220

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

18. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **रवि यशवंत भोईर विरूद्ध जिला कलेक्टर रायगढ़ एवं अन्य**[9] के मामले में कदाचरण की उपरोक्त परिभाषा के अनुसरण में यह प्रतिपादित किया गया है कि ' स्थापित और निश्चित नियमों के उल्लघंन, निषिधकार्य, अवैध व्यवहार, जानबूझ कर किये गये कार्य के रूप में समझा जाना चाहिए । यह शब्द अनुचित व्यवहार और दुर्व्यवस्था के साथ पर्यायवाची हो सकता है ।

किसी विशिष्ट मामले में, लापरवाही या असावधानी भी अनुशासनहीनता हो सकती है । उदाहरण के लिए, जब एक चौकीदार अपनी ड्यूटी छोड़कर सिनेमा देखने चला जाता है, भले ही संस्थान को कोई चोरी या नुकसान न हुआ हो, लेकिन डय्टी के स्थान को छोड़ना ही अनुशासनहीनता है । अनुशासनात्मक प्रभावों से संबंधित मामले में यह अधिक गंभीर हो सकता है ।

WebCopy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

19. रवि यशवंत भोईर (उपरोक्त) के मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि "कदाचरण" को प्रत्येक मामले की विषयवस्तु के संदर्भ के अनुसार उद्देश्य और दायरे के अनुरूप विवेचित किया जाना चाहिए। किसी भी कृत्य के कदाचरण होने की प्रकृति को मापा जाना चाहिए जिससे यह परिणाम ज्ञात किया जा सके कि क्या उक्त कृत्य सार्वजनिक हित में हानिकारक है ।

20. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **एम एम मल्होत्रा विरूद्ध भारत संघ** [10] में यह स्पष्ट किया गया है कि – "अवचार" शब्द की कोई सटीक परिभाषा नहीं है अपितु विषय के संदर्भ अनुसार, इसकी व्याख्या दोषी के प्रदर्शन एवं उसके अनुशासन तथा कर्तव्य की प्रकृति पर पड़ने वाले प्रभाव से विवेचित किया जा सकता है । इसमें नैतिक अधमता शामिल हो सकती है, अनुचित या गलत व्यवहार होना आवश्यक है; विधिविरूद्ध व्यवहार, दुराग्रही; निषेधित कार्य, कार्यवाही के स्थापित और निश्चित नियम या आचार संहिता का उल्लंघन से है लेकिन केवल निर्णय की त्रुटि, लापरवाही या कर्तव्य के प्रदर्शन में लापरवाही ; निषिद्ध गुणवत्ता या चरित्र की शिकायत वाले कार्य से नहीं होगा। इस शब्द की व्याख्या विषय वस्तु, संदर्भ और अधिनियम के उद्देश्य, दायरे और सार्वजनिक हित में सेवा के लिए प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए की जानी चाहिए ।

---

9 (2012) 4 SCC 407

10 (2005) 8 SCC 351

समान दृष्टिकोण **बलदेव सिंह गांधी विरूद्ध पंजाब राज्य** [11] के मामले में भी लिया गया है ।

21. किसी सेवक/पदाधिकारी में व्यक्तिगत गुणों की अनुपस्थिति या कमी का निष्कर्ष का अर्थ यह नही है कि वह दण्ड के लिए उत्तरदायी है (देखें **भारत संघ विरूद्ध जे अहमद**[12])

22. यह विधिक सुस्थापित सिद्धांत है कि कदाचरण की व्याख्या प्रयुक्त उसकी प्रकृति के परिप्रेक्ष्य में की जानी चाहिए एवं न्यायालय द्वारा यह परीक्षण किया जाना अनिवार्य है कि क्या कदाचरण सार्वजनिक हित में हानिकारक हैं (देखें **बैंक आफ इण्डिया विरूद्ध मोहम्मद निजामुद्दीन**[13])

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

23. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **रसिक लाल वाघजी भाई पटेल** (उपरोक्त)के मामले में यह निर्णीत किया है कि जब तक कोई कार्य या लोप किसी प्रमाणित आदेश या सेवा विनियम में कदाचार के रूप में प्रावधानित नही है, तब तक नियोक्ता को यह अधिकार नही है कि वह अमुक कार्य या लोप को कदाचरण निष्कर्षित कर कर्मचारी को दण्डित कर दे । कर्मचारी को कदाचरण के आरोप में दण्डित करने के लिए यह सुनिश्चित किया जाना होगा कि उक्त कर्मचारी का आचरण या चूक वास्तव में कदाचरण की परिभाषा में सूचीबद्ध है अथवा नही ।

24. इस न्यायालय के अभिमत में "कदाचरण" एक व्यापक अर्थ वाला शब्द है । नियोक्ता द्वारा की जा रही विभागीय कार्यवाही को समुचित ठहराये जाने के लिए ऐसा कोई आचरण होना आवश्यक है जो सेवा की शर्तों से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से विरोधाभाषी हो । कर्मचारी के आचरण और सेवा के मध्य संबंध होना आवश्यक है ताकि सरकारी कर्मचारी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही न्यायसंगत दर्शित किया जा सके ।

25. यद्यपि यह विधिक स्थिति स्पष्ट है कि रिट याचिका का क्षेत्राधिकार विवेकाधिकार है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत प्रदत्त इस विवेकाधिकार का उपयोग

11 (2002) 3 SCC 667
12 (1979) 2 SCC 286
13 (2006) 7 SCC 410

सामान्यतः अभियोग पत्र रद्द करने के लिए उपयोग में नही लाया जाना चाहिए जब तक कि ऐसा कोई आपवादिक प्रकरण दर्शित न हो कि मामला पूरी तरह से ही क्षेत्राधिकार के बाहर है या अवैधानिक है (देखें **भारत संघ एवं अन्य विरूद्ध कुनीसेट्टी सत्यनारायण**[14])

26. प्रस्तुत मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित उपरोक्त सिद्धांतों के प्रकाश में यह दर्शित होता है कि याचिकाकर्ता के पुत्र प्रवीण कुमार मिश्रा ने शिकायतकर्ता आदित्य प्रकाश नामदेव को दिनांक 13.07.2015 को पंजीकृत विक्रयपत्र के माध्यम से प्रश्नाधीन भूमि का विक्रय किया है एवं उक्त आक्षेप पर याचिकाकर्ता सहित उनके पुत्र प्रवीण कुमार मिश्रा के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420 एवं धारा 120–बी सहपठित धारा 34 के तहत आपराधिक प्रकरण संबंधित दाण्डिक न्यायालय में विचाराधीन है ।

27. विभागीय जांच हेतु जारी आरोप पत्र के परिशीलन से यह दर्शित होता है कि इस आशय के आरोप हैं कि याचिकाकर्ता ने शिकायतकर्ता आदित्य प्रकाश नामदेव को प्रश्नाधीन भूमि का विक्रय किया है एवं प्रश्नाधीन भूमि का विक्रय करके अनुचित लाभ प्राप्त किया है जबकि अभिलेख पर प्रस्तुत विक्रय पत्र दिनांकित 13.07.2015 की प्रति से दर्शित होता है कि संपत्ति/प्रश्नाधीन भूमि का अंतरण याचिकाकर्ता के पुत्र प्रवीण कुमार मिश्रा के द्वारा शिकायतकर्ता आदित्य प्रकाश नामदेव को किया गया है । इसलिए याचिकाकर्ता के पुत्र द्वारा शिकायतकर्ता आदित्य प्रकाश नामदेव के पक्ष में किया गया विक्रय "कदाचरण" के रूप में याचिकाकर्ता के विरूद्ध परिभाषित नही किया जा सकता है एवं विभागीय कार्यवाही में अनुशासनात्मक जांच की विषयवस्तु नही होगी । अतः याचिकाकर्ता के विरूद्ध दाखिल आरोप पत्र नियम 1965 के नियम 3(1) एवं नियम 22 ए तथा पुलिस रेगुलेशन के रेगुलेशन 64 के अधीन "कदाचरण" के दायरे में नही आयेगा ।

28. अतः प्रत्यर्थी क्रमांक–2 द्वारा याचिकाकर्ता को जारी किया गया आरोप पत्र दिनांक 15.07.2016 संलग्नक पी–1 निरस्त किया जाता है ।

29. उपरोक्तानुसार रिट याचिका स्वीकार की गई । परिव्यय के संबंध में कोई आदेश नही दिया जा रहा है ।

सही/–
(संजय के. अग्रवाल)
जज

14 (2006) 12 SCC 28

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur